

Received at 3 PM

सं० डी० (डी०)-72

21/11/80

REGISTERED NO. D. (D)-72


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

बुख. 3251

P.O. 800

KM. 20

TL. 43

2-131

800

सं० 340] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 31, 1980/कार्तिक 9, 1902
No. 340] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1980/KARTIKA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

धर्म मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1980


सा.का.नि. 614(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण
उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित
धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य
निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है,
अर्थात् :—

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) स्कीम,
1980 है।

886 GI/80

(1229)

Attested.


निदेशक, कर्मचारी
भविष्य निधि, प्रशासन विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 21/11/80

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खंड (ख) में उपपैरा 90 के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(91) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. क्र. नि. 613(अ) तारीख 30 अक्टूबर, 1980 जो 31 अक्टूबर, 1980 से प्रवृत्त होगी, में विनिर्दिष्ट हरीतकी सारसत्त चूर्ण, हरीतकी सारसत्त पिंड और वनस्पति टैनिन मिश्रित सार सत्त उद्योगों से सम्बन्धित कारखानों की बादत।”

[सं. एस. 35016(3)/80-पी एफ-2]

अ. पूनन, उपसचिव(पी)

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1980

✓ G.S.R. 614(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 1980.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in clause (b) of Sub-paragraph (3) of paragraph 1, after sub-clause (XC), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(XCI) as respects factories relating to the Myrobalan Extract Powder, Myrobalan Extract Solid, and Vegetable Tannin Blended Extract industries, specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 613(E) dated the 30th October, 1980 come into force on the 31st October, 1980.”

[No. S-35016(3)/80-PF-II]

A. POONEN, Dy. Secy.

Attested

Wholly
निदेशक, कर्मचारी
भविष्य निधि, नया दिल्ली
दिनांक 21/11/80

21/11/80